उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार)

(अति अल्पकालीन निविदा सूचना)

कोरोना Covid-19 के वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे भारतवर्ष में Lockdown है। सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड सरकार के पत्रांक 877, दिनांक 13.05.2020 के द्वारा प्राप्त दिनांक 11.05.2020 की आहूत राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में Migrant Labourers जो राज्य के बाहर से आ रहे हैं एवं Home Quarantine किये जा रहे हैं, उन्हें एक बार में निम्न वर्णित सामग्रियों को Dry Ration Food Packet उपलब्ध कराया जाना है। चावल का क्रय Food Corpotarion of India से उसके द्वारा निर्धारित दर पर तथा शेष सामग्रियों का क्रय खुले बाजार से नियमानुसार किया जायगा। उक्त Dry Ration Food Packet पर अधिकतम रू0 550 प्रति Packet व्यय अनुमान्य होगा, जिसमें परिवहन, हथालन तथा पैकेजिंग पर व्यय सम्मिलित है। सूखा राशन का पैकेट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को प्रति पैकेट 550.00 (पाँच सौ पचास)रू0 की दर से (सभी कर सहित) अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा। उक्त के आलोक में निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिसमें निम्नांकित शर्त्तों के अधीन आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 03.05.2020 के 01:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	वस्तु की विवरणी	मात्रा
1	चावल (F.C.I से उसके द्वारा निर्धारित दर पर)	10 (दस) कि0ग्रा0
2	अरहर दाल	01 (एक) कि0ग्रा0
3	चना दाल	01 (एक) कि0ग्रा0
4	सरसों तेल	01 (एक) लीटर
5	नमक	01 (एक) कि0ग्रा0

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. इच्छुक निविदादाता दिनांक 03.06.2020 के 01:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा, रामगढ़ में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद निविदा दे सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायगी। निविदाएं उसी दिन यानी 03.06.2020 को ही अपराह्न 02:00 बजे अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति द्वारा खोली जायगी।
2. सभी निविदाएं द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायगी। जिसमें तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड की दोनों मुहरबंद लिफाफे अलग–अलग सभी आवश्यक कागजातों के साथ डाले जायेंगे। निविदादाता तीसरे लिफाफे में उक्त दोनों लिफाफा को डालकर मुहरबंद करेंगे, लिफाफे के उपर अपना नाम, पते एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे।
3. सामग्री आपूर्ति में अनियमितता बरती जाने के आरोप में काली सूची में नहीं डाले गये हैं एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति से संबंधित कार्य करने का Undertaking देना होगा।
4. निविदाकर्त्ता को GST में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता को निविदा के साथ पिछले 3 वर्षों का अद्यतन आयकर प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, रामगढ़ के पदनाम से देय होगा।
7. पैकेजिंग चार्ज/लेबर चार्ज/परिवहन चार्ज आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं वहन करना होगा।
8. चयनित एजेन्सी को जिला नजारत उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के साथ एकरारनामा करना होगा।
9. निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा से संबंधित सामग्रियों का ब्यौरा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक......41....../रा0, रामगढ़, दिनांक.....26..../.....05..../2020

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि चार प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

26/5/2020
उपायुक्त,
रामगढ़।

Shahbaz/Rakesh sir/135